

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

[सं. 05/2026-सीमाशुल्क]

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2026

सा.का.नि.....(अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे विखंडन से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित सारणी में यथा उल्लिखित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विखंडित करती है, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	अधिसूचनाएं
(1)	(2)
1.	भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 24 (अ), तारीख 8 जनवरी, 2004 द्वारा प्रकाशित सं. 11/2004-सीमाशुल्क, तारीख 8 जनवरी, 2004
2.	भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 380 (अ), तारीख 31 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित सं. 27/2016-सीमाशुल्क, तारीख 31 मार्च, 2016

2. यह अधिसूचना तारीख 2 फरवरी, 2026 को प्रवृत्त होगी।

[सं. 450/174/2024-सीयूएस-IV]

(अनुरिमा शर्मा)
निदेशक (सीमाशुल्क)